(8)

संख्याः– 195/XXVII(1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार),
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून ::दिनांकः: 25 :मार्च,2011

विषयः–त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रधान तथा उपप्रधान को मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए कुल धनराशि **₹7986600.00 (₹ उनासी लाख छियासी हजार छः सौ मात्र)** को संलग्नक के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचित प्रधान को रू0 600 प्रतिमास तथा उपप्रधान को रू0 250 प्रतिमास की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

2–पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–472/06/XII/86 (10)/05 दिनांक 01 जुलाई,2006 द्वारा निर्गत स्वीकृति इस धनराशि में सम्मिलित है।

3– आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित करने हेतु बिल जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार कर बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4–आवंटित धनराशि सम्बंधित ग्राम पंचायत को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चैक के माध्यम से सम्बंधित ग्राम पंचायत को 15 दिन के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

5–आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड,वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा।

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

6– आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7–आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेतर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें –05–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 195 (1)/XXVII (1)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कुँमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव,ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव,पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक,पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड। उत्तराखण्ड ।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
9– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः–195 /XXVII(1)/2011
दिनांकः 25 :मार्च,2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को (विकास खण्ड स्तर पर) वर्ष 2010–11 हेतु संस्तुत अधिष्ठान अनुदान।

(धनराशि ₹ में)

जनपद का नाम	क्रम	कुल पंचायतों की संख्या	कुल देय धनराशि
1	2	4	5
1–नैनीताल	1	71	724200
	2	62	632400
	3	35	357000
	4	69	703800
	5	38	387600
	6	76	775200
	7	56	571200
	8	53	540600
		460	**4692000**
2–रुद्रप्रयाग	1	156	1591200
	2	102	1040400
	3	65	663000
		323	**3294600**
		783	**7986600**

(₹ उनासी लाख छियासी हजार छः सौ मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।